(बइजलास अंजना सहरावत आर.ए.एस.)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
14/2011	11/11/2019	07/08/2023

उनवान

कर्नल रघुराज सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह जाति राजपूत निवासी नीमोला तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

(वादी)

बनाम

(1) ब्रह्मानन्द पुत्र श्री पांचू जाति काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. मृतक जर्ये कायमकाम–

1/1 चाहन्याबाई बेवा ब्रह्मानन्द
1/2 चन्द्रप्रकाश पुत्र ब्रह्मानन्द
1/3 राममूर्ति पुत्री ब्रह्मानन्द
1/4 बंटी बाई पुत्री ब्रह्मानन्द, जातियान काछी निवासीगण सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

(2) गोपीचन्द पुत्र श्री पांचू जाति काछी, निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

2/1 गिर्राज पुत्र गोपीचन्द
2/2 ओमप्रकाश पुत्र गोपीचन्द, जातियान काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
2/3 बसन्ती पुत्री गोपीचन्द जाति काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. मृतक जर्ये कायममुकाम–

2/3/1 नरेश पुत्र बसन्ती
2/3/2 हेमन्त पुत्र बसन्ती
2/3/3 रेखा पुत्र बसन्ती
2/3/4 राजेश पुत्री बसन्ती जातियान काछी निवासी नानेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
2/4 विद्याबाई पुत्री गोपीचन्द, जाति काछी निवासी नीमोला तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

(3) लटूर पुत्र श्री पांचू जाति काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. मृतक जर्ये कायमुकाम –

3/1 भवानी उर्फ भंवरी बाई बेवा लटूर
3/2 महावीर पुत्र लटूर
3/3 जुगल किशोर पुत्र लटूर
3/4 हेमेन्द्र पुत्र लटूर
3/5 रामलीला पुत्री लटूर
3/6 कलावती पुत्री लटूर जातियान काछी निवासीगण सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

(4) रामप्रताप पुत्र श्री पांचू जाति काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. मृतक जर्ये कायमुकाम–

4/1 सोसर पुत्र रामप्रताप मृतक जर्येकायमुकाम बेवा शान्ति बेवा सोसर

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

4/2 हरिनारायण पुत्र रामप्रताप

4/3 गिर्राज पुत्र रामप्रताप

4/4 रूकमणी पुत्री रामप्रताप जातियान काछी निवासीगण सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

(5.) पन्नी बाई बेवा श्योनारायण जाति काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

(6.) पीरूलाल पुत्र श्योनारायण जाति काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

(7.)राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील--पीपल्दा जिला कोटा राज.

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित अधिवक्तागण--

श्री भागवन्त सिंह आसावत --वकील वादी

श्री नन्दकिशोर कुशवाह --वकील प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88,89, 188 आर.टी.एक्ट

--::निर्णय::--

दिनांक--07/08/2023

वादी ने न्यायालय में इस आशय का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी को ग्राम सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली का खसरा नम्बर 94 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा कुल 15 बीघा 15 बिस्वा आवंटन हुई थी। जिस पर दिनांक--20.06.1973 को दखल भी दिया गया।

यह है कि सेटलमेन्ट विभाग ने खसरा नम्बर 94 का नया खसरा नम्बर 167 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 191 का रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.18 है0 कुल 1.10 है0, तथा खसरा नम्बर 108 का नया खसरा नम्बर 227 रकबा 0.82 है0 इस प्रकार साबिक हाल कुल रकबा 1.92 है0 बनाया गया, जो गत रकबे के मुकाबले 3 बीघा 15 बिस्वा कम है तथा पडौसी खातेदारों की भूमि में बेशी किया गया है। पडौसी खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 व 2 रकबा 27 बीघा 1 बिस्वा का नया रकबा 4.70 है0 बना दिया जो 2 बीघा 19 बिस्वा अधिक दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 3 व 4 की खसरा नम्बर 81 का रकबा 38 बीघा 3 बिस्वा का रकबा 0.34 है0 बना दिया जो 1 बीघा 12 बिस्वा अधिक है। प्रतिवादी क्रम 5, 6 व 7 की भूमि 23 बीघा 2 बिस्वा का रकबा 3.89 है0 बना दिया जो 1 बीघा 3 बिस्वा अधिक दर्ज किया है।

प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की भूमि के सहारे वादी की वर्तमान खसरा नम्बर 227 है तथा प्रतिवादी क्रम 3 व 4 की भूमि गत खसरा नम्बर 94 के सहारे तथा प्रतिवादी क्रम 5, 6 व 7 की भूमि के सहारे गत खसरा नम्बर 94 की भूमि है। इसलिए वादी को प्रतिवादी गण के विरूद्व इन्द्राज दरूस्ती हेतु वाद पेश करना आवश्यक हो गया। वादी की गत खसरा नम्बर 108 की 0.33 है0 व गत खसरा नम्बर 94 की 0.31 है भूमि कम है।

वाद प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि उनके खाते से भूमि कम की जाकर

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

वादी के खाते में बढायी जावे। जिसकी दरूस्ती राजस्व रिकार्ड में की जाकर उन्हें जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के शांति पूर्ण कब्जे–काश्त में मदाखलत व मजाहकत न तो स्वयं करे और नहीं अपने प्रतिनिधि से करवाये।

वादी का वाद इस न्यायालय को स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर पक्षकारान की तलबी की गई है।

प्रतिवादी कम 2 व 4 ने जवाब पेश कर वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि इस कम में वर्णित भूमि रास्ते की है। जिसका आवंटन नहीं हो सकता इसका वादी को अधिकार नहीं है और न ही भूमि हमारे अधिक दर्ज की गई है। भूमि को रास्ते के ही दर्ज किया जावे तथा वादी का वाद निरस्त किया जावे।

प्रतिवादी कम 5, 6 व 7 ने जवाब दिया की वादपत्र स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि सही दर्ज थी वादी का वाद खारिज किया जावे। वादी ने रास्ते की भूमि का ऐलोटमेन्ट करा लिया है, जिसका उसे अधिकार नहीं है।

प्रतिवादी कम 8 ने निर्णय न्यायालय से संबंधित बताया है कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है।

प्रस्तुत वाद व प्रतिवाद पत्र पर तनकीयात निम्न प्रकार कायम की गई–

तनकी नम्बर 1. आया वादी ग्राम सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. खसरा नम्बर 94 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा कुल 15 बीघा 15 बिस्वा दिनांक 20.06.1973 को गेलेन्टरी एवोर्ड में जिलाधिकारी द्वारा आवंटित की गयी थी तथा दिनांक 20.06.1973 को दखल किया गया है तथा वादी खातेदार बन गया है।

(जिम्मे वादी)

तनकी नम्बर 2. आया सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी की आराजी गत खसरा नम्बर 94 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 167 की 0.54 है0, खसरा नम्बर 191 की 0.38 है0, खसरा नम्बर 192 की 0.18 है0 तथा खसरा नम्बर 108 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा के नये नम्बर 227 का 0.82 है0 कुल 1.92 है का पर्चा जारी कर 3 बीघा 15 बिस्वा कम कर दी तथा प्रतिवादी कम 2 लगायत 7 के खाते में दर्ज कर दी उनकी आराजी गत खाते से वर्तमान खाते में अधिक दर्ज कर दी। प्रतिवादीगण की उनके खाते की बढी हुई आराजी कम की जाकर वादी के खाते दर्ज की जावे रकबा पूरा किया जावे।

(जिम्मे वादी)

तनकी नम्बर 3. आया प्रतिवादी कम 2 व 3 के उनके खाते सेटलमेन्ट से पूर्व 27 बीघा 1 बिस्वा थी जो बाद सेटलमेन्ट 224, 225, 226 कुल 4.70 ;30 बीघा कर दी। प्रतिवादी कम 3 व 4 को 38 बीघा कर दी जो कम की जानी चाहिये इसलिए वादी का रकबा पूरा कर इन्द्रराज दुरूस्त किया जाना चाहिए।

(जिम्मे वादी)

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

तनकी नम्बर 4. आया वादी इन्द्रराज दुरूस्ती खातेदारी घोषणा सेटलमेन्ट की गलती को दुरस्त करवाने का अधिकारी है।

तनकी नम्बर 5 सहायता **(जिम्मे वादी)**

(जिम्मे वादी)

प्रस्तुत प्रकरण में शहादतवादी में वादीगण के बयान पी.डब्लू 1 व पी. डब्लू.2 दर्ज किये गये जिनमें वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व रिकार्ड को प्रदर्श कराया प्रतिवादी कम 2 गोपीचन्द का शपथ पत्र डी.डब्लू. 1 प्रतिवादी कम 1 ब्रह्मानन्द के शपथ पत्र डी.डब्लू. 2 प्रतिवादी कम 4 शपथ पत्र डी.डब्लू 3 प्रस्तुत किया जिसकी जिरह वकील वादी ने की।

प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18/04/2006 को निर्णित किया गया जिसके विरूद्व अपीलें वादी व प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के यहां पर प्रस्तुत की गयी जिनको माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक–14/09/2010 को आंशिक रूप से आराजी के सम्बन्ध में पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक–08/05/1990 का भी गहनता से अवलोकन करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुऐ पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। प्रकरण पुनः दर्ज रजि0. किया जाकर वादी प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया वादी द्वारा शपथ पत्र साक्ष्य मय दस्तावेजात एक्जी0 पी0 10 लगायत एक्जी0 पी0 19 किये गये जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से पुनः शपथपत्र डी.डब्लू 1 गिरिराज शपथपत्र डी.डब्लू 2 गोपीचन्द, शपथपत्र डी.डब्लू 3 पीरूलाल, शपथपत्र डी.डब्लू 4 जुगलकिशोर प्रस्तुत किये गये जिन पर जिरह की गयी। पत्रावली में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उल्लेखित पटवारी हलका मौका रिपोर्ट दिनाक 08/05/1990 को अवलोकल करने का प्रयास किया किन्तु पत्रावली में उक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर पुनः तहसीलदार पीपल्दा व पटवारी हलका से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी जो शामिल मिसल की गयी।

पत्रावली न्यायालय द्वारा–26/09/2017 को निर्णित की जाकर वादी को विवादित आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी के खाते में कमी किये गये रकबे 0.60 है0 की पूर्ति प्रतिवादीगण के खाते की जाने व इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

प्रतिवादीगण द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक–26/09/2017 के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक–26/09/2017 को निरस्त कर न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि मृतक ब्रहमानन्द के वारिसान को रिकार्ड पर लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया वकील पक्षकारान ने उपस्थित प्रस्तुत कर वादी वकील द्वारा ब्रह्मानन्द के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन प्रस्तुत होने पर मृतक ब्रह्मानन्द के वारिसान को रिर्कार्ड पर लिया गया।

पत्रावली न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी/अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व अपील अधिकारी कोटा दिनांक–02/07/2019 प्रस्तुत होने पर राजव मण्डल अजमेर भिजवायी गयी पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक–14/02/2023 के साथ इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा अपील संख्या–498/2017 बउनवानी ब्रह्मानन्द व अन्य बनाम कर्नल रघुराज सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक–02/07/2019 की पुष्टि की जाती है एवं विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण का उभयपक्ष को सुनकर शीघ्र निस्तारण करें। पत्रावली राजस्व मण्डल से प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर की गयी तथा पक्षकारान को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली राजस्व मण्डल से प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर की गयी तथा पक्षकारान को जर्ये नोटिस तलब किया गया। वादी की ओर से भागवन्त सिंह आसावत एडवोकेट द्वारा उपस्थिति दी गयी तथा प्रतिवादीगण की ओर से नन्दकिशोर कुशवाह एडवोकट उपस्थित हुए। वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया कि प्रतिवादी कम 2 गोपीचन्द की मृत्यु हो चुकी है, प्रतिवादी कम 2 गोपीचन्द की मृत्यु हो जाने पर मृतक गोपीचन्द के वारिसान को पत्रावली पर लिया गया व संशोधित टाईटल पेश हुआ मृतक गोपीचन्द के वारिसान को जर्ये रजि0 एडी नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी कम 4 जिसके कायममुकाम पत्रावली पर है का एक और कायममुकाम उसकी पत्नी गोपाली पत्नी रामप्रताप वं प्रतिवादी कम 5 की पुत्री नोरती बाई पुत्री श्योनारायण को भी प्रभावित पक्षकार होने से पक्षकार बनाया जावे। प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी. सी. पर बहस सुनी गयी वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराया तथा वकील अप्रार्थी वादी ने प्रार्थनापत्र पर आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी कम 4 स0 4 के कायममुकाम 4/1 लगायत 4/4 पहले से ही पक्षकार बनाये जा चुके हैं इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 भी पहले से पक्षकार हैं उसकी कोई पुत्री थी तो उसे भी माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी व राजस्व मंडल राजस्थान में अन्य की भांति अपनी उपस्थिति देनी चाहिए थी इस स्टेज पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील करने वाले कायममुकामों को सुनकर वाद निर्धारण के निर्देश दिये गये हैं जबकि प्रतिवादीगण के सम्पूर्ण संज्ञान में था कि प्रतिवादी कम 4 व 5 के एक–एक कायममुकाम और भी हैं, परन्तु उन्होंने मुकदमे में देरी कारित करने के उद्देश्य से आज यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रतिवादी संख्या 4 के कायममुकाम रिकार्ड पर मौजूद है उन्हें पहले ही ज्ञात है कि उनकी माता सहखातेदार है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 को भी ज्ञात था कि उनकी पुत्री सहखातेदार है परन्तु उन्हें जान–बूझकर प्रकरण में सामने नहीं लाया गया अब इस स्टेज पर कायममुकाम बनाने का कथन कर रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से इन कायममुकामान को छिपाया गया है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी एवं राजस्व मण्डल अजमेर ने भी केवल प्रतिवादी संख्या–1 ब्रह्मानन्द के कायममुकामान को पुनः सुनकर फैसला देने का निर्णय दिया गया है। अतः पत्रावली में केवल ब्रह्मानन्द के वारिसान को ही इस स्टेज पर सुना जाना है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 सी. पी.सी. का हस्तगत प्रार्थनापत्र प्रकरण में देरी करने के अन्तरस्थ उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाने के कारण खारिज किया गया।

चूँकि प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा निर्णय दिनांक–02/07/2019 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक–26/09/2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया है कि मृतक ब्रह्मानन्द के कायममुकाम को रिकार्ड पर लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। जिसकी पुष्टि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक–14/02/2023 द्वारा की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय द्वारा मृतक ब्रह्मानन्द के वारिसान को दिनांक–04/12/1019 को रिकार्ड पर लिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अपीलीय न्यायालयों के निर्देशानुसार प्रकरण प्रतिप्रेषित होने के उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना ही शेष है।

पक्षकारान के वकील उपस्थित हुए उनकी बहस सुनी गयी। बहस मे वकील वादी ने अपने वादपत्र में तथ्यों को दोहराया तथा अपने रेकार्ड के अनुसार सेटलमेन्ट द्वारा अपना गत रकबा के मुकाबले हाल रकबा कम किया जाना तथा सेटलमेन्ट द्वारा प्रतिवादीगणों की भूमि को गत मुकाबले बेशी दर्ज किया जाना बताते हुए प्रतिवादीगण के रकबे में कमी की जाकर वादी के खाते में रकबा पूर्ति करने का प्रार्थना पत्र तथा प्रतिवादीगण के द्वारा उठायी गई यह आपत्ति कि रास्ते की भूमि का आवंटन कराने का वादी को कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में वकील वादी ने कहा कि मौके पर भूमि काश्त योग्य होने से तथा मात्र रेकार्ड में रास्ता दर्ज होने के कारण मौके की स्थिति के अनुसार भूमि का आवंटन किया गया था। आज भी मौके पर कोई रास्ता नहीं है वादी द्वारा आवंटन के बाद से ही काश्त की जा रही है। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादीगण पूर्व की भॉति ही अपनी जगह काबिज है और खाते में उनके भूमि बेशी नहीं है। इसलिए उनके खाते

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

से भूमि कम नहीं की जानी चाहिए तथा रास्ते की भूमि होने से वादी को उक्त भूमि के आवंटन कराने का कोई अधिकार भी नहीं है। वकील प्रतिवादीगण ने आर.आर.टी. 2003 पेज नं. 765 मोहनदास बनाम सरकार का उदाहरण पेश किया जो इस प्रकरण में लागू नहीं होता है।

प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व साक्ष्य का अद्योपांत अवलोकन किया गया । तथा प्रकरण की तनकीयात का निम्नानुसार निर्णय किया जाना उचित समझा गया।

तनकी नम्बर 1. इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर नकल, जमाबन्दी संवत 2036–39 में इ0नं0 112 मे ग्राम सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली की भूमि खसरा नम्बर 94 की 8 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 की 7 बीघा 2 बीस्वा कुल 15 बीघा 15 बिस्वा वादी की गैर खातेदारी में दर्ज करने का नोट लगा हआ है जो प्रदर्श 1 है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 2041–60 में गत खसरा नम्बर मि0 94 का एक खसरा नम्बर 191 रकबा 0.38 व दूसरा खसरा नम्बर 192 रकबा 0.18 है0 बने है तथा हाल खसरा नम्बर 167 की 0.54 है0 गत खसरा नम्बर 23 से बनना दर्ज है जो प्रर्दश 5 व 10 है। जमाबन्दी सेटलमेन्ट संवत 2041–2060 में उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 167 की 0.54 है0, ख0न0 191 की 0.38 है0, ख0न0 192 की 0.18 है0 ख0न0 227 की 0.82 है0 कुल 1.92 है0 वादी के गैर खातेदारी में दर्ज है, जो प्रदर्श 2 है। इस प्रकार पूर्व सेटलमेन्ट वादी के खाते में 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज थी जो कि 2.52 हैक्टे0 होती है के बाद सेटलमेन्ट रकबा 1.92 हैक्टे0 दर्ज हुआ है, जिसके अनुसार वादी की 0.60 हैक्टे0 भूमि कम दर्ज की गयी। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी का रकबा बाद सेटलमेन्ट 0.60 हैक्टे0 कम दर्ज किया है, सेटलमेन्ट विभाग को किसी प्रकार के रकबा कमी व बढोतरी के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। विवादित आराजी पर लगभग सभी साक्षीगणों द्वारा वादी का ही कब्जा काश्त माना है। वादी को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं तथा वर्तमान रिकार्ड में खातेदार कृषक दर्ज है। इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजात के आधार पर तनकी नम्बर 1 वादी के हक में तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2 व 3 – वादी ने विवादित आराजी में अपना रकबा कम होना बताया है जो कि तनकी न0 1 के विवेचन से प्रमाणित है कि सेटलमेन्ट विभाग ने वादी का रकबा गत रकबे की तुलना में 0.60 है0 कम दर्ज किया है।

वादी ने प्रतिवादीकम 1 व 2 के खाते में साबिक के मुकाबले अधिक भूमि दर्ज होना बताया है सेटलमेन्ट पूर्व प्रतिवादी कम 1 व 2 के खाते में मुताबिक सवंत 2036 से 2039 ख0न0 96 रकबा 27 बीघा 1 बिस्वा अर्थात;4.33 हेक्ट0 दर्ज है जो कि प्रर्दश 17 है, जिसके बाद हाल सेटलमेन्ट ख0न0 224 रकबा 2.04 है0, ख0न0 225/282 रकबा 0.07 है0, ख0न0 225 रकबा 2.66 है0, कुल 4.77 है0 कायम किये गये जो कि बाद सेटलमेन्ट प्रतिवादी कम 1 व 2

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

के खाते में दर्ज है इस प्रकार सेटलमेन्ट द्वारा प्रतिवादी कम 1 व 2 का रकबा गत रकबे की तुलना में 0.44 है0 बेशी दर्ज किया है जो कि प्रतिवादी कम 1 व 2 के खाते नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट संवत 2041 से 60 जो प्रर्दश 18 व 19 है से प्रमाणित है।

वादी ने प्रतिवादीकम 3 व 4 के खाते में साबिक के मुकाबले अधिक भूमि दर्ज होना बताया है। सेटलमेन्ट पूर्व प्रतिवादी कम 3 के खाते में मुताबिक जमाबन्दी सवंत 2036 से 2039 ख0न0 81 रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा अर्थात 3.40 हैक्टे0 भूमि दर्ज है जो कि प्रर्दश 12 है, जिसके बाद हाल सेटलमेन्ट ख0न0 168 रकबा 3.34 है0, कायम किये गये जो बाद सेटलमेन्ट प्रतिवादी कम 3 के खाते में दर्ज है इस प्रकार सेटलमेन्ट द्वारा प्रतिवादी कम 3 का रकबा गत रकबे की तुलना में कम दर्ज किया है जो कि प्रतिवादी कम 3 के खाते नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट संवत 2041 से 60 जो प्रदर्श 13, से प्रमाणित है। अतः वादी प्रतिवादी कम 3 से कोई रकबा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, किन्तु सेटलमेन्ट पूर्व प्रतिवादी कम 4 के खाते में पूर्व सेटलमेन्ट मुताबिक जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 ख0न0 81 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा अर्थात 2.71 हेक्ट0 दर्ज है जो कि प्रदर्श 11 है, जिसके बाद हाल सेटलमेन्ट ख0न0 169 रकबा 3.00 है0, कायम किये गये जो कि बाद सेटलमेन्ट प्रतिवादी कम 4 के खाते में दर्ज है इस प्रकार सेटलमेन्ट द्वारा प्रतिवादी कम 4 का रकबा गत रकबे की तुलना मे 0.29 है0 बेशी दर्ज किया है, जो कि प्रतिवादी कम 4 के खाते नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट संवत 2041 से 60 प्रदर्श 14, से प्रमाणित है।

वादी ने प्रतिवादीकम 5 व 6 के खाते में साबिक के मुकाबले अधिक भूमि दर्ज होना बताया है। सेटलमेन्ट पूर्व प्रतिवादी कम 5 व 6 के पूर्वज के खाते में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 ख0न0 79 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा अर्थात 3.70 हैक्टे0 दर्ज है जो प्रदर्श 15 है, जिसके हाल सेटलमेन्ट में ख0न0 166 रकबा 3.89 है0, कायम किये गये जो कि सेटलमेन्ट के बाद प्रतिवादी कम 5 व 6 के पूर्वजों के खाते में दर्ज है इस प्रकार सेटलमेन्ट द्वारा प्रतिवादी कम 5 व 6 का रकबा गत रकबे की तुलना में 0.19 है0 बेशी दर्ज किया है जो कि प्रतिवादी कम 5 व 6 के पूर्वज के खाते नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट संवत 2041 से 60 प्रदर्श 16 से प्रमाणित है।

इस प्रकार तनकी न. 2 व 3 के विवेचन से वादी का रकबा सेटलमेन्ट द्वारा कम किया जाना एवं प्रतिवादी कम 1,2,4 ता 6 का रकबा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बढाकर दर्ज किया जाना प्रमाणित होता है, प्रतिवादीगण की आपत्ति है कि विवादित भूमि रास्ता की भूमि है विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा आवंटन के संबंध में कभी कोई अपील प्रस्तुत की हो कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिनके अभाव में प्रतिवादीगण की आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है उपरोक्त प्रस्तुत रिकार्ड एवं विवेचन के आधार पर तनकी नम्बर 2 व 3 वादी के हक में तय की जाती है।

तनकी नम्बर 4. वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व साक्ष्य व रिपोर्ट पटवारी हलका व तहसीलदार पीपल्दा की मौका रिपोर्ट दिनांक 26/04/2017 के आधार तथा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

तनकी नम्बर 1 के विवेचन के आधार पर वादी वर्णित विवादित आराजी का खातेदार कृषक हो चुका है तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी का रकबा बिना किसी आधार व सक्षम आदेश के 0.60 हैक्टे0 कम दर्ज किया है तथा तनकी नम्बर 2 व 3 के विवेचन से प्रतिवादी कम 1, 2, 4, ता 6 का रकबा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बढा कर दर्ज किया है सेटलमेन्ट विभाग को वादी का रकबा कम करने व प्रतिवादीगण का रकबा बढा कर दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था तथा रिपोर्ट पटवारी हलका व तहसीलदार पीपल्दा की मौका रिपोर्ट दिनांक 26/04/2017 में भी तहसीलदार पीपल्दा ने वादी के कमी रकबा की पूर्ति प्रतिवादीगण के बढे हुये रकबे से करने की अभिशंषा की है। वादी के कमी रकबे 0.60 है0 की पूर्ति प्रतिवादी कम 1,2,4, ता 6 के खाते से किया जाना न्यायोचित है। इस कारण वादी सेटलमन्ट की त्रुटि को दरूस्त करवाने इन्द्राज दरूस्ती करवाने एवं अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकार रखता है इस प्रकार उपरोक्त प्रस्तुत रिकार्ड व तथ्यों के आधार पर तनकी नम्बर 4 वादी के हक में तय की जाती है।

तनकी नम्बर 5. सहायता अन्य वादी को अन्य कोई सहायता देय नहीं है।

उपरोक्तानसार तनकीवार विवेचन साक्ष्य, तथ्य, पटवारी व तहसील रिपोर्ट व दस्तावेजात के अवलोकन से वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

कियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादी को विवादित का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के बचे हुऐ रकबे से वादी के कमी रकबा 0.60 है0 की इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर पूर्ति हेतु निम्नानुसार निर्णित व आदेशित किया जाता है कि–

(1.) विवादित आराजी ग्राम– बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. की आराजी हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 2.04 है0 में से 0.16 हैक्टे0 (ख0न0 227 के लगवा भूमि) तथा हाल खसरा नम्बर 225 रकबा 2.66 है0 मे से 0.15 हेक्ट0 (ख0न0 227 के लगवा भूमि) कुल 0.31 हैक्टे0 भूमि वादी के खाते दर्ज की जावे तथा वादी को उपरोक्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(2.) विवादित आराजी ग्राम बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. की आराजी हाल खसरा नम्बर 169 रकबा 3.00 है0 में से 0.10 हैक्ट0 (ख0न0 167 के लगवा भूमि) कुल 0.10 हैक्टे0 भूमि वादी के खाते दर्ज की जावे तथा उपरोक्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(3.) विवादित आराजी ग्राम बरनाहाली तह0 पीपल्दा कोटा राज. की आराजी हाल खसरा नम्बर 166 रकबा 3.89 है0 में से 0.19 हैक्टे (ख0न0 167 के लगवा भूमि) कुल 0.19 हैक्ट0 भूमि वादी के खाते दर्ज की जावे तथा उपरोक्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

(4.) प्रतिवादीगण 1 ता 7 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी में वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त में न तो स्वंय व्यवधान उत्पन्न करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करवायें। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक–07/08/2023 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
इटावा (कोटा)

मूल वाद में डिक्री

आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज0

उनवान

कर्नल रघुराज सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह जाति राजपूत, निवासी नीमोला, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज

(वादी)

बनाम

(1.) ब्रह्मानन्द पुत्र श्री पांचू, जाति काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. मृतक जर्ये कायमकाम–

1/1 चाहन्याबाई बेवा ब्रह्मानन्द

1/2 चन्द्रप्रकाश पुत्र ब्रह्मानन्द

1/3 राममूर्ति पुत्री ब्रह्मानन्द

1/4 बंटी बाई पुत्री ब्रह्मानन्द, जातियान काछी निवासीगण सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

(2.) गोपीचन्द पुत्र श्री पांचू, जाति काछी, निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

2./1. गिर्राज पुत्र गोपीचन्द

2./2. ओमप्रकाश पुत्र गोपीचन्द, जातियान काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

2./3. बसन्ती पुत्री गोपीचन्द जाति काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. मृतक जर्ये कायममुकाम–

2./3./1. नरेश पुत्र बसन्ती

2./3./2. हेमन्त पुत्र बसन्ती

2./3./3. रेखा पुत्र बसन्ती

2./3./4. राजेश पुत्री बसन्ती जातियान काछी निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

2./4. विद्याबाई पुत्री गोपीचन्द, जाति काछी निवासी नीमोला तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

(3) लटूर पुत्र श्री पांचू जाति काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. मृतक जर्ये कायमुकाम –

3/1 भवानी उर्फ भंवरी बाई बेवा लटूर

3/2 महावीर पुत्र लटूर

3/3 जुगल किशोर पुत्र लटूर

3/4 हेमेन्द्र पुत्र लटूर

3/5 रामलीला पुत्री लटूर

3/6 कलावती पुत्री लटूर जातियान काछी निवासीगण सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

(4.) रामप्रताप पुत्र श्री पांचू जाति काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. मृतक जर्ये कायमुकाम–

1/1 सोसर पुत्र रामप्रताप मृतक जर्येकायमुकाम बेवा शान्ति बेवा सोसर
1/2 हरिनारायण पुत्र रामप्रताप
1/3 गिर्राज पुत्र रामप्रताप
1/4 रूकमणी पुत्री रामप्रताप जातियान काछी निवासीगण सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
(5.) धन्नी बाई बेवा श्योनारायण जाति काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
(6.) पीरूलाल पुत्र श्योनारायण जाति काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
(7.)राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील–पीपल्दा जिला कोटा राज.

(प्रतिवादीगण)

वाद अर्न्तगत धारा 88,89, 188 आर.टी.एक्ट

--::निर्णय::--

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि-- वादी का वाद स्वीकार कर वादी को विवादित का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के बचे हुऐ रकबे से वादी के कमी रकबा 0.60 है0 की इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर पूर्ति हेतु निम्नानुसार निर्णित व आदेशित किया जाता है कि–

(1.) विवादित आराजी ग्राम– बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. की आराजी हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 2.04 है0 में से 0.16 हैक्टे0 (ख0न0 227 के लगवा भूमि) तथा हाल खसरा नम्बर 225 रकबा 2.66 है0 मे से 0.15 हेक्ट0 (ख0न0 227 के लगवा भूमि) कुल 0.31 हैक्टे0 भूमि वादी के खाते दर्ज की जावे तथा वादी को उपरोक्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तदनसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(2.) विवादित आराजी ग्राम बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. की आराजी हाल खसरा नम्बर 169 रकबा 3.00 है0 में से 0.10 हैक्ट0 (ख0न0 167 के लगवा भूमि) कुल 0.10 हैक्टे0 भूमि वादी के खाते दर्ज की जावे तथा उपरोक्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(3.) विवादित आराजी ग्राम बरनाहाली तह0 पीपल्दा कोटा राज. की आराजी हाल खसरा नम्बर 166 रकबा 3.89 है0 में से 0.19 हैक्टे (ख0न0 167 के लगवा भूमि) कुल 0.19 हैक्ट0 भूमि वादी के खाते दर्ज की जावे तथा उपरोक्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(4.) प्रतिवादीगण 1 ता 7 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी में वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त में न तो स्वंय व्यवधान उत्पन्न करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करवायें। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07/08/2023 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प	अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	रूपये
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प तजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
मेहनताना वकील	0	0	मेहनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
इटावा